न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 15/2008

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
श्री रामाराम पुत्र श्री फुसाजी जाति माली निवासी कोजरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		1. सरपंच ग्राम पंचायत, कोजरा। 2. श्री नीमाराम पुत्र श्री हरजीजी जाति कलबी निवासी कोजरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–

1. श्री दिनेश कुमार सुराणा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री प्रमोद कुमार दवे, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 12.04.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, कोजरा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 27 दिनांक 15.03.1991 वर्गफीट 1125 को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 267 के तहत जारी किया गया है, जो विधिविरूद्ध है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक बावजूद नोटिस तामिली के अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे ने जरिये वकालतनामा के उपस्थिति दी। प्रकरण मे दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियमो के विपरित पट्टा संख्या 27 दिनांक 15.03.1991 वर्गफीट 1125 जारी किया है। प्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया है कि ग्राम पंचायत कोजरा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को जारी पट्टा की भूमि आम रास्ते की भूमि है एवं आम रास्ते की भूमि को विक्रय करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। ग्राम पंचायत कोजरा द्वारा 21 भूखण्डों की नीलामी की गई जिसमें प्रार्थी ने भूखण्ड संख्या 21 को उच्चतम बोली लगाकर 8000 रूपये में क्रय किया तथा पट्टा संख्या 21 दिनांक 18.07.[illegible] [illegible] पट्टे की चतुर्दशी में पश्चिम दिशा में गली का कॉर्नर व काश्त की [illegible] पश्चिम दिशा में 15 फीट का रास्ता दर्ज है। पूर्व दिशा में खातेदार [illegible] है व उत्तर दिशा में सीताराम प्रजापत का प्लॉट है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या दो को भूखण्ड रास्ते [illegible] की है। अप्रार्थी संख्या दो पट्टा [illegible] जाति व [illegible] कारीगरों व लघु सी[illegible] कृषकों को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय आवं[illegible] के तहत जारी किया था [illegible] अप्रार्थी संख्या दो न तो अनुसूचित जाति व जनजाति का है और न ही कारीगर लघु सीमान्त कृषक है। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत कोजरा में उक्त पट्टे की शिकायत की तब ग्राम पंचायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:16:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ने प्रार्थी को निगरानी पेश करने का जवाब दिया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अतः श्रीमान से निवेदन है कि विवादित पट्टा संख्या पट्टा संख्या 27 दिनांक 15.03.1991 वर्गफीट 1125 को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 267 के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। अप्रार्थी संख्या–दो द्वारा इस संबंध मे कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नही की गई है। अप्रार्थी संख्या दो का मौके पर कब्जा काश्त है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को हैरान परेशान करने से यह निगरानी प्रस्तुत की है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज करना फरमायें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभाँति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

अप्रार्थी संख्या दो को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, कोजरा द्वारा पंचायत के प्रस्ताव लेकर जारी किया गया है । राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 267 के तहत जारी किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता का यह कथन है कि ग्राम पंचायत कोजरा द्वारा विवादित पट्टा संख्या 27 आम रास्ते की भूमि एवं खातेदारी भूमि का सम्मिलित करते हुए जारी किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने पर ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जो यह साबित कर सके कि ग्राम पंचायत कोजरा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 15.03.1991 आम रास्ते की भूमि एवं खातेदारी भूमि को सम्मिलित करते हुए जारी किया है। प्रार्थी ने नक्शा एवं जमाबन्दी पेश तो किया है लेकिन इससे यह साबित नहीं होता है कि उक्त जमाबन्दी विवादित पट्टे की भूमि की है। पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने के कारण निर्णय करना यह न्यायालय उचित नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:16:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner